न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओं) बाडमेर

राजस्व वाद स.33/2010

वादीनी बनाम प्रतिवादी

मदनलाल लाधु वगैरह

तनकीयात

दिनांक– 10.1.14

1.आया मौजा महाबार तहसील बाडमेर की खसरा स.58,59,60 कुल रकबा 103 बीधा भूमि मे 1/2 हिस्सा वादीगण व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स.1 से 16 अपनी खातेदारी मे धोषित करवाने के अधिकारी है।

जिम्मे–वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि मे बाद धोषणा 1/2 हिस्सा वादीगण व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स.1 से 16 के कब्जे काश्त के अनुसार बाईमिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव मंगवान के अधिकारी है।

जिम्मे–वादीगण

3. आया वादीगण वाद पत्र के पद स.8 मे वर्णितानुसार वादीगण, प्रतिवादी स.1 से 16 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है।

जिम्मे–वादीगण

4.आया वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी स.11,12,14 के पिता एवं प्रतिवादी स.13 के पति किशना पुत्र सुजा को देबू खटीक के दतक पुत्र ग्रहण कर लिया था एवं गोदनामा दिनांक 5.9.41 उप पंजयीक अधिकारी नागौर के कार्यालय मे पंजीबद्व करवाया गया था इस कारण वादग्रस्त खेतो मे किशना का कोई अधिकार नही रहता है।

जिम्मे–प्रतिवादी स.1 से 10

5.आया वादोतर के पद सख्या 3 मे वर्णितानुसार सुजा का अधिकार वादग्रस्त खेतो मे नही होने के कारण प्रतिवादी स.15 के खातेदारी अधिकार नही है।

जिम्मे–प्रतिवादी स.1 से 10,16

6.अन्य सहायता

विवेचन किया गया

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ)बाडमेर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 33/2010 अनवान मदनलाल बनाम लाधू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
16/08/18	**निर्णय** पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन हड़ताल पर होने से अनुपस्थित। वकील प्रतिवादीगण द्वारा एक आवेदन दिनांक 29.11.2017 को इस आशय का प्रस्तुत किया था कि हस्तगत प्रकरण में वादी संख्या 03 कैलाश पुत्र छोटूराम लगभग 03 वर्ष पूर्व, वादी संख्या 04 मूलचन्द्र पुत्र छोटूराम लगभग 01 वर्ष पुर्व, वादीनी संख्या 23 चनणी पत्नी गोरधनदास का करीब 04 वर्ष पूर्व, प्रतिवादी संख्या 02 ईश्वर पुत्र दीपा का लगभग 06 माह पूर्व, प्रतिवादी संख्या 15 भंवरलाल पुत्र सूजाराम का लगभग 04 वर्ष पुर्व तथा प्रतिवादी संख्या 16 भवरी पत्नी आईदानराम का लगभग 04 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुके है। वादीगण द्वारा उक्त मृतक व्यक्तियों के कायम मुकाम निर्धारित अवधि में नही बनाये है। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र उपशमन होने से खारिज योग्य हैं। वकील वादीगण द्वारा आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अंकित पक्षकारान का 04 वर्ष से भी अधिक समय से देहान्त होने के उपरान्त भी वादीगण द्वारा उनके मृत्यु की सूचना नही देना एवं कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने बाबत् आवेदन प्रस्तुत नही करना विधि की अवहेलना है। वादीगण का यह दायित्व था कि मृत्यु के 90 दिन के अन्दर मृतक के कायम मुकाम की सूचना न्यायालय में प्रस्तुत करता, परन्तु उसके द्वारा ऐसा नही करने से वाद उपशमन हो चुका है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपने बहस के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया:– 1. आरएलडब्लू 2005(2) राज पृष्ठ 568 से 573 वकील वादीगण द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि पक्षकारान की मृत्यु की सूचना देने का दायित्व वादीगण एवं	

सहायक कलक्टर
(SDO) जाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 33/2010 अनवान मदनलाल बनाम लाघू	नम्बर अहकाम हुकम के मे जारी
	प्रतिवादीगण दोनों का ही है वादीगण अनपढ होने से न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में पक्षकारान के मृत्यु होने की सूचना नही दे पाये, इस हेतु न्यायिक प्रक्रिया में शिथिलता बरतते हुए कायम मुकाम बनाये जाकर उसको अभिलेख पर लिये जाने हेतु अवसर प्रदान करावे तथा आवेदन खारिज फरवावे। उभय पक्षो की बहस सुनने के पश्चात वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का विधि के परिप्रेक्ष्य में चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी की मृत्यु के मामले में परिसीमा अनुछेद 120 से विनियमित होती है। विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन वादी की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर दायर किया जाना आवश्यक है, परन्तु वादीगण द्वारा विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाये जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है। अतः वादीगण का वाद उपशमन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	